प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 12 नवम्बर, 2025

विषय:- जिला कारागार, बागपत में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अब्दुल वारी उर्फ अब्दुल हमीद पुत्र श्री अब्दुला, निवासी जनपद-बागपत की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-14762/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-31.03.2023, दिनांक 09.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बंदी अब्दुल वारी उर्फ अब्दुल हमीद पुत्र श्री अब्दुला, मौ0 तेलीवाड़ा, अमीनगर सराय, थाना-सिंघावली अहीर, जनपद-बागपत का निवासी है। बन्दी द्वारा पुरानी रंजिश के कारण दिनांक 13.03.2010 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचा से गोली मारकर **01** व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या- 274/2010, धारा-147, 148, 323/149, 302/149 आई०पी०सी० व 7 सी. एल.ए. एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं**0-03** बागपत के आदेश दिनांक 20.01.2022 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 30.09.2022 तक अपरिहार 11 माह, **25** दिन तथा सपरिहार 01 वर्ष, 24 दिन की सजा काटी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बंदी द्वारा किया गया अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित न होकर समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, पूर्व में किये गये अपराध को दृष्टिगत रखते हुए पुन: अपराध करने से इंकार नहीं किये जाने, रिहा किये जाने पर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से इंकार नहीं किये जाने, परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति की आख्या में उल्लिखित किया गया है कि बन्दी द्वारा दिनांक **30.09.2022** तक अपरिहार **00** वर्ष, **11** माह, **25** दिन तथा सपरिहार **01** वर्ष, **00** माह, **24** दिन की भोगी गयी सजा तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बागपत द्वारा रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, बागपत में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अब्दुल वारी उर्फ अब्दुल हमीद (बन्दी संख्या-07/2022) पुत्र श्री अब्दुला, निवासी जनपद-बागपत की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-1342/2025/1805(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बागपत।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, बागपत।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।